

अधिकारों का नैतिक आचार (Moral Foundations of Rights)

वी. रच. ग्रीन (1836-82) के पद-विद्यो पर चलते हुए, लास्की ने अधिकारों के नैतिक आचार की प्रति की है।

उसने यह स्वीकार किया है कि अधिकार राज्य को देने नहीं हैं बल्कि उनका स्थान राज्य को सता (Authority) से ऊंचा है परंतु पूंजीवादी व्यवस्था की प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए, लास्की ग्रीन से बहुत भाग्य बढ गया है।

अधिकार इस अर्थ में ऐतिहासिक नहीं है कि उन्हें किसी युग-विशेष में मान्यता प्राप्त हुई है। परंतु यह इस अर्थ में ऐतिहासिक आवश्यक है कि समाज ने अपने विकास के किसी स्तर पर उनकी मांग की है।

जब अधिकार नैतिक आचार पर स्थापित किए जाते हैं। तब यह आवश्यक हो जाता है कि उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं।

अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। लास्की के शब्दों में मुझे दूसरों के आक्रमण से रक्षा पदान करने का अर्थ यह है कि मैं भी अपने आपकी दूसरों पर आक्रमण करने से रोकूँ।

संपत्ति के अधिकार (Right to Property)

लास्की ने इस शर्त पर स्वीकार किया है कि वह सर्व-हित में बाधक न हो और व्यक्ति को अपने कर्तव्यपालन में स्थापना दे, जहाँ संपत्ति दूसरों के उपर शक्ति के प्रयोग का साधन बन जाए, वहाँ इस अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए।

अधिकारों के वर्गीकरण का सिद्धांत

1. अधिकार क्या हैं? (What are rights?)

जब हम व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंध पर विचार करते हैं। तब बातें सामने आती हैं एक व्यक्ति का राज्य से क्या-क्या प्राप्त होना चाहिए। ये उसके अधिकार हैं। दूसरे व्यक्ति को राज्य के लिए क्या-क्या करना चाहिए। ये उसके कर्तव्य (Duties) हैं। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर हैं। जिनसे उसे आत्म-विकास में सफलता मिलती है।

हेरल्ड जे. मास्की के अनुसार, अधिकार सामाजिक

जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना आम तौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म-विकास की आशा नहीं कर सकता।

कानूनी अधिकारों के सिद्धांत (Theory of legal rights)

इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकार राज्य की देन हैं। कानून के विधि-निर्देश ही अधिकार और अनधिकार का परिभाषा है।

ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत

(Theory of historical rights)

इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन हैं। जब रीति-रिवाज लंबे-समय के बाद स्थिर हो जाते हैं। तब अधिकारों का जन्म होता है। उदाहरण के लिए पति-पत्नी को एक दूसरे पर क्या-क्या अधिकार हैं।

इस सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक यह है कि अधिकारों का विकास करते समय उचित

अनुचित (Right and Wrong) के पुरन को परे रख देना है।